65

51 27

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : एक 31(30) विविध/जविप्रा/सम/ डी– 198 दिनांक : 12.1.11

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन पत्रों का प्राधिकरण के विभिन्न प्रशासनिक एककों के लिये नियुक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम में विहित समयावधि में निस्तारण हेतु आदेश क्रमांक डी– 3126 दिनांक 10.6.2008 व डी–4017 दिनांक 11.6.2010 के द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर सामान्य निर्देश जारी किये हुए हैं।

उक्त अधिनियम 2005 की धारा 6(1) में प्रस्तुत अनुरोध, आवेदन पत्र की प्रकृति अनुसार व अधिनियम के प्रावधानानुसार अपेक्षित सूचना व दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम 30 दिवस की पर्याप्त समयावधि के उपरान्त भी विहित समयावधि के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के परिणाम–स्वरूप अधिनियम की धारा 19(1) के अध्यधीन प्रथम अपीलों, राजस्थान सूचना आयोग में धारा 19(3) के अध्यधीन द्वितीय अपीलों व 18(1) के अध्यधीन परिवादों की संख्या में काफी वृद्धि होती जा रही है इसलिये, संविधिक प्रावधानों की शब्दशः अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा प्राप्त शक्तियों के प्रयोग में निर्देशित किया जाता है कि:–

(1) प्राधिकरण के प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कक्ष के बाहर "राज्य लोक सूचना अधिकारी व पद का नाम" अंकित कर सूचना पट्ट में दर्शाया जावे। इसी अनुसार सूचना के अधिकार से सम्बधित प्राप्त आवेदन पत्रों के पत्र व्यवहार में लोक सूचना अधिकारी व पद का नाम अंकित करते हुए पत्र व दस्तावेजों को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित कर भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(2) आवेदन पत्रों मे चाहे गये दस्तावेजों के सम्बंध में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित 30 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से प्रतिलिपि शुल्क की गणना कराई जाकर मांग पत्र आवश्यक विवरण (पृष्ठ..... .....हेतु दो रूपये प्रति पृष्ठ शुल्क राशि रूपये.....एवं मानचित्र.....हेतु रूपये..... प्रति मानचित्र शुल्क राशि रूपये .....) इत्यादि अंकित कर जारी किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। निर्धारित अवधि पश्चात मांग पत्र जारी होने अथवा सूचना व दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जाने के तथ्य प्रथम अपील की सुनवाई में सामने आने पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/कार्मिक के वेतन से जविप्रा

को प्रतिलिपि शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के नुकसान की वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

(3) प्राप्त प्रार्थना पत्रों अथवा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विषय के कुछ अंश में चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी स्वयं के जोन, प्रकोष्ठ एवं कार्यालय से संबंधित नहीं होने की स्थिति में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि 5 दिवस में प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाकर आदेदक को भी सूचित किये जाने के स्पष्ट निर्देश अंकित हैं। तदापि अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित (अंतरित) नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी पत्रावली पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित सूचना व दस्तावेज व्यक्तिशः एकत्रित कर अपीलार्थी को दी जायेगी।

(4) अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में बिन्दुवार तथ्य अंकित कर सूचना चाहे जाने पर उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना भी बिन्दुवार स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(5) प्राप्त प्रार्थना पत्रों में यदि प्रश्नावली के रूप में कोई सूचना चाही गई है तो प्रार्थना पत्र का सूक्ष्मता से अध्ययन कर चाही गई सूचना व उससे संबंधित दस्तावेज यदि रिकार्ड पर सुगमता से उपलब्ध हो, तो दिये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबन्धों में ऐसा कहीं अंकित नहीं है कि यदि कोई सूचना प्रश्नों के रूप में हो तो उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जावे। यह प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर है कि उसका उत्तर सीधे तौर पर सूचना के रूप में दिया जा सकता है, या नही। केवल इसी आधार पर आवेदन पत्र अथवा उसके किसी बिन्दु को इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह प्रश्नों के रूप में है। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों में वर्णित सूचना ही प्रकटन से छूट रखती है।

(6) राजस्थान सूचना आयोग द्वारा वर्णित प्रकरणों जिसमें आयोग द्वारा शास्ति/पैनल्टी/क्षतिपूर्ति राशि व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 09.11.10 में अंकित दिशा निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(7) उपसचिव, राजस्थान सूचना आयोग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार राजस्थान सूचना आयोग में विचाराधीन अपीलों/परिवादों पर निर्धारित सुनवाई तिथि को जयपुर विकास प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा निधारित समय पर उपस्थिति नहीं दी जाती है।

अतः प्राधिकरण के समस्त लोक सूचना अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना आयोग में उनसे सम्बंधित विचाराधीन प्रकरणों में निधारित सुनवाई तिथि को आवश्यक रिकार्ड के साथ स्वयं प्रातः 10.45 बजे उपस्थित होने की कार्यवाही सुनिश्चत करेंगे तथा अपरिहार्य कारणों से यदि स्वयं का उपस्थित होना सम्भव नहीं हो तो अपने अधीनस्थ अधिकारी को उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की कार्यवाही करेंगे।

उक्त निर्देशों की सुनिश्चित रूप से शब्दशः अनुपालना की जायेगी और उक्त संदर्भ में राज्य लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनभिज्ञता अक्षम्य होगी एवं इस प्रकार के प्रकरणों में सम्बन्धित प्रकोष्ठ के राज्य लोक सूचना अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सचिव

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव/उप रजिस्ट्रार राजस्थान सूचना आयोग, सी–विंग, वित्त विभाग, जनपथ, राजस्थान विधानसभा के पास, जयपुर (राज0) को सूचनार्थ।
2. निजी सहायक, जयपुर विकास आयुक्त/सचिव, को सूचनार्थ ।
3. उप महानिरीक्षक (पुलिस), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी/परियोजना/आयोजना/वित/विधि), जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल0पी0सी0),जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जविप्रा,जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम एवं द्वितीय, जविप्रा जयपुर।
8. सलाहकार (रिंग रोड) जविप्रा, जयपुर।
9. सर्किल अभियन्ता (प्रथम)/सर्किल अभियन्ता (द्वितीय)/सर्किल अभियन्ता (तृतीय)/सर्किल अभियन्ता (चतुर्थ)/सर्किल अभियन्ता –पंचम एवं तकनीकी सहायक निदेशक (अभियान्त्रिकी/परियोजना)/सर्किल अभियन्ता –पी0एच0ई0/सर्किल अभियन्ता–रिंग रोड प्रोजेक्ट जविप्रा, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजन (बी0पी0सी0)/प्रोजेक्ट, जविप्रा, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्त जोन–1 से 14/सामान्य प्रशासन/स्टोर/जॉच/वाहन/अभाव अभियोग प्रकोष्ठ/पी0पी0सी0, जविप्रा, जयपुर।
12. उप निदेशक (व्यय एवं बजट) लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
13. भूमि अवाप्ति अधिकारी,जविप्रा, जयपुर।
14. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा जयपुर।
15. समस्त जोनल अभियन्ता/वरिष्ठ उद्यान विज्ञ, जविप्रा, जयपुर।
16. विशेषाधिकारी (प्रचार)/विशेषाधिकारी (संसाधन विकास)/संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली

12.1.2011
संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)